



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072026-274522
CG-DL-E-15072026-274522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3726]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2026/आषाढ 24, 1948

No. 3726]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2026/ASHADHA 24, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2026

(आय-कर)

का.आ. 3889(अ).— केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 72 की उपधारा (8)

के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित वित्तीय वर्षों के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित अनुसार लागत मुद्रास्फीति सूचक विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रास्फीति सूचक
(1)	(2)	(3)
1.	2026-27	384.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होने वाले कर वर्ष 2026-27 को तथा पश्चात्पूर्ति कर वर्षों पर लागू होगी।

[फा. सं. 85/2026 /फा.सं. 370149/112/2026- टीपीएल]

कृतिका जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department Of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2026

(INCOME-TAX)

S.O. 3889(E).— In exercise of the powers conferred by section 72(8)(a) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby specifies the Cost Inflation Index as mentioned in column (3) of the Table below for the Financial Years mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Financial Year	Cost Inflation Index
(1)	(2)	(3)
1.	2026-27	384.

2. This notification shall apply to the tax year 2026-27 on and from the 1st day of April, 2026 and subsequent tax years.

[F. No. 85/2026/F.No.370149/112/2026-TPL]

KRITIKA JAIN, Under Secy.